संख्या : 169 / IV(2)-श0वि0–2016–10(सा0)15

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक ~~जनवरी~~, 2016**

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर पंचायत, कपकोट को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्षा, नगर पंचायत, कपकोट के पत्रांक– 381/अव0अनु0स्वी0/2015–16, दिनांक 15.12.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, कपकोट द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार **कुल ₹ 12.74 लाख (रूपये बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत
1–	शिवालय वार्ड के कर्मी मोटर मार्ग एवं शिव मंदिर नामक स्थान से प्रा0पा0 कपकोट से चकतरी को जाने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण।	2.48
2–	शिवालय वार्ड के कर्मी मार्ग से बुद्धेश्वर नामक स्थान से चकतरी व सिलकानी से प्रा0प0 भंडारी गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण।	2.82
3–	शिवालय वार्ड 3 के कपकोट कर्मी मार्ग के रा0इं0कालेज कपकोट को जाने वाले मुख्य मार्ग, जो कि मुख्य सड़क के विपिन चन्द्र उपाध्याय के घर से जाता है, आणू क्षेत्र होते हुए मार्ग का निर्माण।	1.90
4–	शिवालय वार्ड 03 के पुल बाजार की ओर सिलकानी से आने वाले बरसाती नाले के दोनों ओर हो रहे भूकटाव एवं आवासीय भवनों को हो रहे खतेरे को रोकने हेतु।	2.92
5–	शिवालय वार्ड 03 में पुल बाजार एवं शिव मंदिर पर चिन्हित स्थानों पर घाट निर्माण।	2.62
योग–		**12.74**

2– उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :–

I. उक्त धनराशि **कुल ₹ 12.74 लाख (रूपये बारह लाख चौहत्तर हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, कपकोट (बागेश्वर) को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

II. स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

III. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

..2/-....

IV. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VI. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

VII. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

VIII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

IX. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

X. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

XII. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

XIII. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XIV. धनराशि का दिनांक 31–3–2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.16021300110 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–169(1)/IV(2)-श0वि0–2016, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।

..3/-....

3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कपकोट।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।